1:20 • 46%

suspension order p...
PDF reader

कार्यालयअनुविभागीयअधिकारी (रा.)
कोटा, जिलाबिलासपुर (छ.ग.)

Ph.no/fax.no. 07753-253409 sdmkota@gmail.com

"निलंबन आदेश"

क्रमांक/ 158 /कानूनगो/अ.वि.अ./2025 कोटा,दिनांक 06/03/2025

तहसीलदार रतनपुर के प्रतिवेदन अनुसार पटवारी श्री अनिकेत साव, प.ह.नं 1 ग्राम पुडु का सोशल मिडीया में अवैध रूप से रूपये लेते विडियो वायरल होने के कारण तहसीलदार रतनपुर द्वारा पटवारी को सूचना देकर पक्ष रखने हेतु मौका दिया गया। विडियों में पटवारी अनिकेत साव ही है प्रथम दृष्टया ही स्पष्ट होता है, किन्तु पटवारी द्वारा संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया, जो छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत होने के फलस्वरूप श्री अनिकेत साव प.ह.नं 01 पुडु तहसील रतनपुर को छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

निलंबन अवधि में निलंबित पटवारी का मुख्यालय तहसील कार्यालय बेलगहना नियत किया जाता है।

निलंबित पटवारी को एक सप्ताह के भीतर नोटिस देकर विभागीय जांच की कार्यवाही प्रारंभ किया जावे तथा तहसीलदार रतनपुर को यह भी निर्देशित किया जाता है कि, उक्त पटवारी के पदस्थ अवधि के दौरान जो भी शासकीय कार्य किया गया है उसकी जांच करें एवं फर्जी/गलत पाये जान पर उसे तत्काल निरस्त किया जावे।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(तन्मय खन्ना)
(I.A.S)
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
कोटा, जिला बिलासपुर, (छ.ग.)

पृक्रमांक/ 159 /कानूनगो/अ.वि.अ./2025 कोटा,दिनांक 06/03/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा) बिलासपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. तहसीलदार कोटा को सूचनार्थ।
3. तहसीलदार रतनपुर को सूचनार्थ। ग्राम पुडु का अतिरिक्त प्रभार श्री राजपाल मेरसा, प.ह.न 06 ग्राम बारीडीह को तत्काल दिलाया जाकर प्रतिवेदन प्रस्तुत करे।
4. राजस्व निरीक्षक चपोरा को सूचनार्थ।
5. श्री अनिकेत साव, प.ह.नं 1 को सूचनार्थ।
6. श्री राजपाल मेरसा प.ह.न 06 ग्राम बारीडीह को सूचनार्थ एवं पालनार्थ। ग्राम पुडु का अतिरिक्त प्रभार प्राप्त कर इस कार्यालय को सूचित करें।

(तन्मय खन्ना)
(I.A.S)
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
कोटा, जिला बिलासपुर, (छ.ग.)

CS Cam